कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) एंव (पटवारी) के रिक्त पदो पर प्रशिक्षण हेतु संशोधित–II विज्ञप्ति

संशोधित विज्ञप्ति सं0 4668/सात–स0का0–2015(ले./प.) भर्ती, – देहरादून।

राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) एंव (पटवारी) के रिक्त पदो के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए जारी विज्ञप्ति दिनांक 09 अक्टूबर 2015 एंव संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 19–11–2015 में शासनादेश सं0 1754/XVIII (1)/2015–03(3)/2014 T.C-1 दिनांक 19–12–2015 के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एंव (लेखपाल) के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31–12–2015 तक बढा दी गई है। इसी प्रकार परीक्षा की समय–सारणी पुनः निर्धारित की गई है। पूर्व में जारी अन्य निर्देशो/शर्तो में भी आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित निर्देश/शर्ते एन0आई0सी0 देहरादून की वेबसाईट www.dehradun.nic.in पर तथा जिला मुख्यालय, देहरादून एवं जनपद देहरादून की समस्त तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर भी देखे व पढ़े जा सकते हैं।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2015

जिलाधिकारी,
देहरादून

राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एंव (लेखपाल) के रिक्त पदो के सोपक्ष प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना/ निर्देश

राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं (लेखपाल) के रिक्त पदो पर प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र सं0 1754 /XVIII (1)/2015-03(3)/2014 T.C-1 दिनांक 19-12-2015 के द्वारा उत्तराखण्ड शासन के पत्र 1381 दिनांक 24.09.2015 एंव पत्र सं0-1582 दिनांक 9-11-2015 पर दिये गये निर्देशो निम्नानुसार संशोधन एंव निर्देश दिये गये है।

1- राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एंव (लेखपाल) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु शारीरिक दक्षता हेतु पुरूष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 07 कि0 मी0 और महिला अभ्यिर्थियों को 35 मिनट में 3.5 कि0मी0 दौड़ना आवश्यक है।

2- राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एंव (लेखपाल) के रिक्त पदो के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 30-11-2015 को बढ़ाकर दिनांक 31-12-2015 निर्धारित की गई है। जिसके फलस्वरूप परीक्षा की समय-सारिणी निम्नानुसार पुनः सशोधित/निर्धारित की गई है।

क्र0 न0	विषय	निर्धारित तिथि
1	आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	31-12-2015
2	आवेदन पत्रो की सन्निरीक्षा	01-1-2016 से 15-1-2016
3	शारीरिक दक्षता परीक्षण	15-2-2016 से 15-3-2016 के मध्य (प्रवेश पत्र पर पृथक-पृथक निर्धारित की जायेगी)
4	लिखित परीक्षा की तिथि	22-5- 2016 (रविवार)
5	उत्तर कुंजी का प्रकाशन	27-5-2016 से 03-06-2016तक
6	आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि	04-6-2016 से 19-6-2016तक
7	आपत्तियों के निस्तारण की तिथि	04-07-2016
8	परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	04-09-2016
9	स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्रों का सत्यापन	19-09-2016
10	प्रशिक्षण हेतु पत्र निर्गत करने की अंतिम तिथि	04-10-2016
11	प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि	04-11-2016

3- शारीरिक दक्षता की तिथि को अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में जो भी कमियॉ प्रवेश पत्र में क्रंमाकित कर लिख दिया गया हो यथा अपेक्षित सेवा योजन पंजीकरण, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, आवदेन पत्र में हस्ताक्षर की कमी, मूल बैक ड्राप्ट या पोस्टल आर्डर स्वप्रमाणित फोटो ग्राफ्स, स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकाये प्राप्त की जायेगी। वांछित अभिलेखो

के प्राप्ति एंव पुष्टि के उपरान्त ही आवेदक को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

4– अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र एंव फोटो ग्राफ्स मान्य होगें।

5– अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से अथवा स्वयं भी अपेक्षित अभिलेख एंव आवेदन पत्र अन्तिम तिथि के पूर्व जिला मुख्यालय पर जमा किये जा सकते है।

6– शारीरिक दक्षता परीक्षा की वीडियोग्राफी की जायेगी,तथा यदि सम्भव हो तो वायोमैट्रिक सिस्टम से भी अंगुष्ठ के निशान पुष्टि हेतु सुरिक्षत रखें जायेगे, जिसकी पुष्टि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के समय परीक्षा कक्ष में प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

7– आयु– सीमा में अधिकतम आयु–सीमा नियमावली में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी, तथा आयु –सीमा की गणना मूल विज्ञापन में अंकित तिथि के अनुसार ही की जायेगी।

8– राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी के पद पर प्रशिक्षण हेतु आरक्षण के सम्बन्ध में स्पष्ट है कि विकलांग कोटे में कोई भी पद आरक्षण हेतु चिन्हित नही है। लेखपाल के पद के लिए आंशिक वधिर (Partially deaf) का पद विकलाग कोटे में क्षैतिज आरक्षण हेतु आरक्षित है।

9–आरक्षण पत्र के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र की वैधता अवधि यदि समाप्त हो गयी है तो वैध प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक का मान्य होगा। (पटवारी पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका जाति प्रमाण पत्र प्रथम विज्ञप्ति की तिथि दिनांक 09–10–2015 से एक वर्ष के अन्तर्गत निर्गत का ही संलग्न हो एक वर्ष से अधिक अवधि के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र को वैध नही माना जायेगा समयान्तर्गत निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र भूलेख कार्यालय जिला कार्यालय देहरादून में सीधे जमा करायें जा सकते है।)

10– भूतपूर्व सैनिक को सेना द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र (जो कि किसी भी विश्वविघालय /महाविघालय से जारी नही किया गया।) मान्य तभी होगे जब कि उनकी मान्यता के सम्बन्ध में उसमे यह स्पष्ट उल्लेख किया गया हो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या– के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त घोषित किया गया हों।

11–आवेदन पत्र के घोषणा में यदि आवेदक के हस्ताक्षर नही है तो आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। यदि किसी स्थान पर घोषणा के अकिरक्त हस्ताक्षर आदि छूट गये हो या कोई प्रविष्टि पूरी नही की गई हो तो शारीरिक दक्षता की तिथि को आवेदन पत्र में अभ्यर्थी से अपेक्षित स्थान प्रविष्टि कराई जायेगी।

12– अन्य सरकारी विभागो में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्र यथा स्थान अग्रसारित किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया Affidavit मान्य नही होगा।

13– आरक्षित श्रेणी का उल्लेख होने तथा तदनुसार शुल्क जमा किये जाने, किन्तु आरक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने तथा शारीरिक दक्षता की तिथि को आरक्षण का

प्रमाणपत्र प्राप्त कर समिति द्वारा उक्त की पुष्टि की जायेगी। शारीरिक दक्षता के लिए अभ्यर्थी को औपबन्धिक प्रवेश की अनुमति दे दी जायेगी।

14— सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये आवेदन पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रसारित किया गया है, किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है, तो शारीरिक दक्षता की तिथि को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय। यदि सक्षम प्रधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नही होता है तो शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अनुमति नही दी जायेगी।

15— अभ्यर्थी द्वारा संलग्न कोई भी प्रमाण पत्र यथा सेवायोजन में पंजीकरण, पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र आदि आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए।

16— अन्य सभी शर्ते एंव निर्देश पूर्व में जारी विज्ञप्तियों एंव संशोधित विज्ञप्ति व इस संशोधन के अनुसार मान्य है।

जिलाधिकारी,
देहरादून।